18.4.16 बकुलाराम उपस्थित। पगावली/वाद के संबंध प्रार्थना-पत्र हेतु दिनांक 2.5.16 को पेश हो।

16/5/16 पगावली न्याय आपके हर केम्प उदयपुरा फाइनल पक्षकारान उपर।

उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा छोड़ा के ख.न. 974 रकबा 1-140 हैक्टर की संयुक्त खातदारी की भूमि है जिसमें प्रतिवादी का खातदारी में नाम भी नहीं है। किंतु कारण परेशान कर जबरदस्ती के कब्जा कर बेदखल करने पर उतारू है। अतः अग्रार्थी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा रोका जावे।

नो तामिल

हमने पगावली, दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने पर पाया कि अग्रार्थी मौजा छोड़ा के ख.न. 974 का खातेदार संयुक्त खातदार नहीं होते हुए बेदखल करने, प्रार्थी को परेशान कर रहा है। इस ही आधार पर प्रार्थी के दावा 212 RT Act स्वीकार करना उचित व सामंजस्य है।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा बदक प्रार्थी विरुद्ध अग्रार्थी इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा छोड़ा के ख.न. 974 रकबा 1-140 हैक्टर में प्रार्थी के कब्जे काश्त में न स्वयं बेदखली न ही अपने प्रतिनिधि से कराने, के वाद निर्णय तक रोका जाता है। पगावली इस कदर फैसलशुमार होकर सबूत के कम है।

SDO

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)